भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 395

24 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

खाद्य सुरक्षा

395. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करके देश के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) भारतीय गरीबों की खाद्य सुरक्षा के लिए आबंटित धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनेक राज्यों को अपने कोटे का खाद्यान्न प्रतिमाह प्राप्त नहीं हुआ है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को समाप्त करने और इस कार्यक्रम की राष्ट्रव्यापी एकरूपता एवं प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने दिनांक 1 जनवरी, 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों (अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) लाभार्थियों) को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था।

इसके अलावा सरकार ने पीएमजीकेएवाई के तहत दिनांक 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 11.80 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित वित्तीय परिव्यय जिसका सम्पूर्ण वहन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा, के साथ निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ड.): किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

******